भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
...

नई दिल्ली, दिनांक, 23 अप्रैल, 1987.

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 1986- संशोधन पूर्व के वेतनमानों के वेतन में द्विवार्षिक वेतनवृद्धि प्राप्त कर रहे ग्रुप "क" अधिकारियों को संशोधित वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि की अदायगी ।

.....

मुझे केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 1986 का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसे अब केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) संशोधित नियमावली, 1987 के द्वारा ग्रुप "क" अधिकारियों के लिए भी लागू कर दिया गया है जिसमें यह व्यवस्था है कि नियम 8 के दूसरे परन्तुक के अन्तर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर, जिस केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी का वेतन उक्त-नियमावली के नियम 7(1) के अधीन संशोधित वेतनमान में निर्धारित किया गया है, उसे अगली वेतनवृद्धि उसी तारीख को मंजूर की जाएगी जिसको कि वह विद्यमान वेतनमान प्राप्त करते रहते लेता । इस संबंध में चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के पैरा 30.3 में निहित सिफारिशों की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुबंधित है कि सभी मामलों में अगली वेतनवृद्धि पिछली वेतनवृद्धि का वर्ष समाप्त होने पर दी जानी चाहिए ।

2. सरकारी कर्मचारी, जो वेतन संशोधन पूर्व वेतनमान में दर्ज द्विवार्षिक वेतनवृद्धि प्राप्त कर रहा था तथा जिसने संशोधित वेतनमान में वेतन पाने का विकल्प दिया, उसकी वेतनवृद्धि की अगली तारीख के प्रश्न की उपर्युक्त नियम की स्थिति के संदर्भ में जाँच की गई है । राष्ट्रपति जी ने यह निर्णय किया है कि :-

(i) जहाँ सरकारी कर्मचारी को संशोधन पूर्व वेतनमान में द्विवार्षिक वेतनवृद्धि, 1986 में देय थी, उसकी अदायगी 1986 की देय तारीख को की जाए ।

(ii) जहाँ सरकारी कर्मचारी को संशोधन पूर्व के वेतनमान में द्विवार्षिक वेतनवृद्धि 1986 के बाद देय थी वेतनवृद्धि संशोधित वेतनमान में वेतन के चयन के वर्षोपरांत ग्राह्य होगी ।

3. जहाँ तक लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्य कर रहे व्यक्तियों का संबंध है ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श करके जारी किए गए हैं ।

महा शंकर माथुर
(एम. एस. माथुर)
निदेशक (समन्वय)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को (मानक वितरण सूची के अनुसार अतिरिक्त प्रतियों की सामान्य संख्या सहित) ।